अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1266(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं साठ दिन के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे व्यक्ति जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध हैं, वे ऐसा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी,जी,ओ, काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या इलेक्ट्रानिकली ई-मेल पता- envisect@nic.in. पर भेज सकेंगे ।

प्रारूप अधिसूचना

पूर्णा वन्य जीव अभ्यारण्य एक प्रचुर जैव विविधता खंड है जो सभी ओर से बहुत अच्छी क्वालिटी के सागौन के वनों से घिरा हुआ है जिसके साथ उनके बीच में बांस खंड भी हैं और यह अत्यधिक प्रचुर जैव विविधता को बनाए रखती है जिसमें 61 वृक्षों की प्रजातियां, 31 प्रजातियां जड़ी-बूटियों और औषधियों तथा 18 प्रजातियां बेल-बूटों की हैं, 24 स्तन वाले जीवों की प्रजातियां हैं जिनमें कुछ विरल प्रजातियां भी हैं, 18 प्रजातियां रेंगने वाली हैं, 3000 से अधिक कीट प्रजातियां और 142 से अधिक चिड़ियों की प्रजातियां हैं ;

और पूर्णा वन्य जीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संवेदनशील अंचल के रूप में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण और परित्राण करना आवश्यक है, पूर्णा वन्य जीव अभ्यारण्य के वंशानुगत संसाधनों में सुधार और संरक्षण करने के उद्देश्य से आवासीय प्रबंध द्वारा प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय प्रजातियों के पुनः आवास और पुनर्वास करना, पर्यावरणीय शिक्षा और पारिस्थितिकी अनुसंधान करना आवश्यक हो गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्णा वन्य जीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर के क्षेत्र को; जो गुजरात राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न् है पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

पूर्णा पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल की सीमाएं-

(1) (i) पूर्णा वन्य जीव अभ्यारण्य 20^0 51' 15" से 21^0 31' 22" उत्तरी अक्षांश के बीच और 73^0 32' 20" से 73^0 48' 30" पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है ;

(ii) कुल घिरा हुआ क्षेत्र 160.8451 वर्ग किलोमीटर है । संपूर्ण अभ्यारण्य अहवा मुख्यालय सहित डांग जिले में आता है ;

(iii) महल अभ्यारण्य का केंद्रीय स्थान है ;

(iv) उत्तरी क्षेत्र खड़े ढलान सहित निरंतर रिज है, जो व्यारा खंड (सूरत जिला) की सीमा है ;

(v) अभ्यारण्य का दूसरा भाग डांग जिले में आता है । आसपास के वन क्षेत्रों का उपयोग अभ्यारण्य के वन्य जीवों द्वारा किया जाता है ;

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील अंचल का मानचित्र अधिसूचना के साथ उपाबंध क के रूप में संलग्न है और पूर्णा पारिस्थितिकीय संवेदनशील अंचल के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध ख के रूप में संलग्न है ।

(2) पूर्णा पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

2. पूर्णा पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान-

(1) गिरनार पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा ।

(2) आंचलिक मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों को सम्यक रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा जिसमें पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगर पालिक विभाग, राजस्व विभाग सम्मिलित होंगे और इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समन्वित करने के लिए गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सम्मिलित होगा ।

(3) आंचलिक मास्टर प्लान में अनाच्छादित क्षेत्र को बनाए रखने, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, संलग्न क्षेत्रों के प्रबंध, जल प्रबंध, भूमिगत जल बहाव, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताएं और पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(4) आंचलिक मास्टर प्लान सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा।

(5) हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय आंचलिक मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिलकुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(6) आंचलिक मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय के लिए जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है , एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(7) 5000 की जनसंख्या और उससे ऊपर के सभी मानव आवासीय क्षेत्रों के पास क्षेत्र विकास योजना होगी और वह स्थानीय स्वशासी सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

(8) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए आंचलिक मास्टर प्लान की तैयारी तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसके अनुमोदन के लंबित रहने के दौरान सभी नए संनिर्माणों को प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा 4 में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(9) वन क्षेत्र, हरित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी और अनुपयोगी या गैर उत्पादक कृषि क्षेत्रों को वन क्षेत्रों में संपरिवर्तित किया जा सकेगा ।

(10) राज्य सरकार, यदि आवश्यक हो, उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी ।

3. पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में विनियमित और निर्बंधित क्रियाकलाप-

(1) औद्योगिक इकाइयां- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग को अनुज्ञात नहीं किया

जाएगा और क्षेत्र में गैर प्रदूषणकारी उद्योग न्यूनतम 50 मीटर चौडी हरित पट्टी की व्यवस्था के साथ विचार किया जाएगा ;

(2) **उत्खनन और खनन** :- (i) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में कोई खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु तापी और अहवा डांग जिलों में नदी तल में स्थानीय उपयोग के लिए बालू का खनन वन विभाग के परामर्श से सम्यक् रक्षोपायो सहित चयनित स्थलों पर अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में कोई नए सिरे से खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा और यदि विद्यमान खनन पट्टा यदि कोई हो, नए पट्टे के निबंधनों पर हटाया जाएगा और ऐसे खनन पट्टे का कोई विस्तारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु उन अवस्थानों पर स्थानीय उपयोग के लिए नदी स्तर के बालू और पत्थर संगृहीत करने के लिए अनुज्ञा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन सं0 8-104, 89-एफ सी, तारीख 26/07/1990 द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनुज्ञात की जा सकेगी ।

(3) **वृक्ष** :- वन में वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना या प्रबंध योजना के अनुसार होनी चाहिए और निजी या राजस्व भूमि पर कटाई राज्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञात की जा सकेगी ।

(4) **पर्यटन**- पर्यटन क्रियाकलाप पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे जो पारिस्थितकीय शिक्षा और पारिस्थितकीय विकास पर बल देंगे तथा पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग के सौजन्य से तैयार किए जाएंगे जो जोनल मास्टर प्लान का एक संगठक होगा ।

(5) **भूमिगत जल**- भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल भूखंड के अधिभोगी की सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का निष्कर्षण वाणिज्यिक और औद्योगिक काम्प्लेक्सों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय, जिसके अंतर्गत कृषि द्वारा संदूषण भी है, किए जाएंगे ।

(6) **प्लास्टिक का उपयोग** - कोई व्यक्ति पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल क्षेत्र के भीतर प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करेगा और प्लास्टिक वस्तुओं का व्ययन कड़ाई से विनियमित किया जाएगा ।

(7) **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, गुजरात पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने के लिए प्राधिकारी होगा ।

(8) **बहिस्रावों का निर्वहन** - पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** :- (क) ठोस अपशिष्ट का व्ययन समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 908 (अ). तारीख 25 सितंबर, 2000 के अधीन नगर पालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
(ख) (i) स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजना तैयार करेंगी ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री खाद बनाकर या अधिमानतः खाद या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित की जाएगी ।

(iii) अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा ; और

(iv) पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल में ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **प्राकृतिक झरने**- सभी झरनों के जल आगम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके प्राकृतिक संस्थापन में संरक्षण और उनके नवीकरण, जो सूख गए हैं, की योजनाओं को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा और इन क्षेत्रों या उनके निकट विकास के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

4. **मानीटरी समिति**-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करने के लिए पूर्णा पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) उपपैरा (1) में निर्दिष्ट मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात् :—

(क) कलेक्टर, डांग- अध्यक्ष ;
(ख) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए -सदस्य ;

(घ) प्रादेशिक अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डांग-सदस्य ;

(ङ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार- सदस्य ;

(च) उप वन संरक्षक (अभ्यारण्य का भारसाधक) डांग -सदस्य सचिव ;

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।

(4) उन क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुज्ञा या पर्यावरणीय अनुमति अपेक्षित है, ऐसे विषय राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं0 का0आ0 1533, तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) पर्यावरण और वन मंत्रालय, समय-समय, पर मानीटरी समिति के कृत्यों के लिए प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. गुजरात/1/2009-ईएसजेड]

डॉ. जी.वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -ख

(पैरा 1(1) (iv) देखें)

ग्रामों की सूची

क. तालुक अहवा

हडोल, कलीबेल, बलखेट, छिखला, बरदीपाद, धल्दा, गिरमाल, सवरखादी, दारदी, भुजद, बंदपडा, सवरदक्षत, दिवांतरण, गौदाहद, जमनयमाल, कसदबारी, सजुपदा, इसखंडी, भेषकत्री, महल, ढोंगीम्बा, कदमाल, जरान, शिंघाना, कोसीमदा, खोखरी, भुर्थाडी, मच्छाली, सुबीर, मोखमल, दिवद्यावन, मोतीकसद, एगिनपाडा गधावी (रूईमल), पंधरमाल, भोंगडिया, जमलापडा, वंकन ।

ख. सोनगढ़

बोरपाडा, गुटवेल, वाडी (रूपगढ़), कपडबंद, मोता, तडपाडा, चिमेर, केल्वन, चेवदी ।

उपाबंध-क

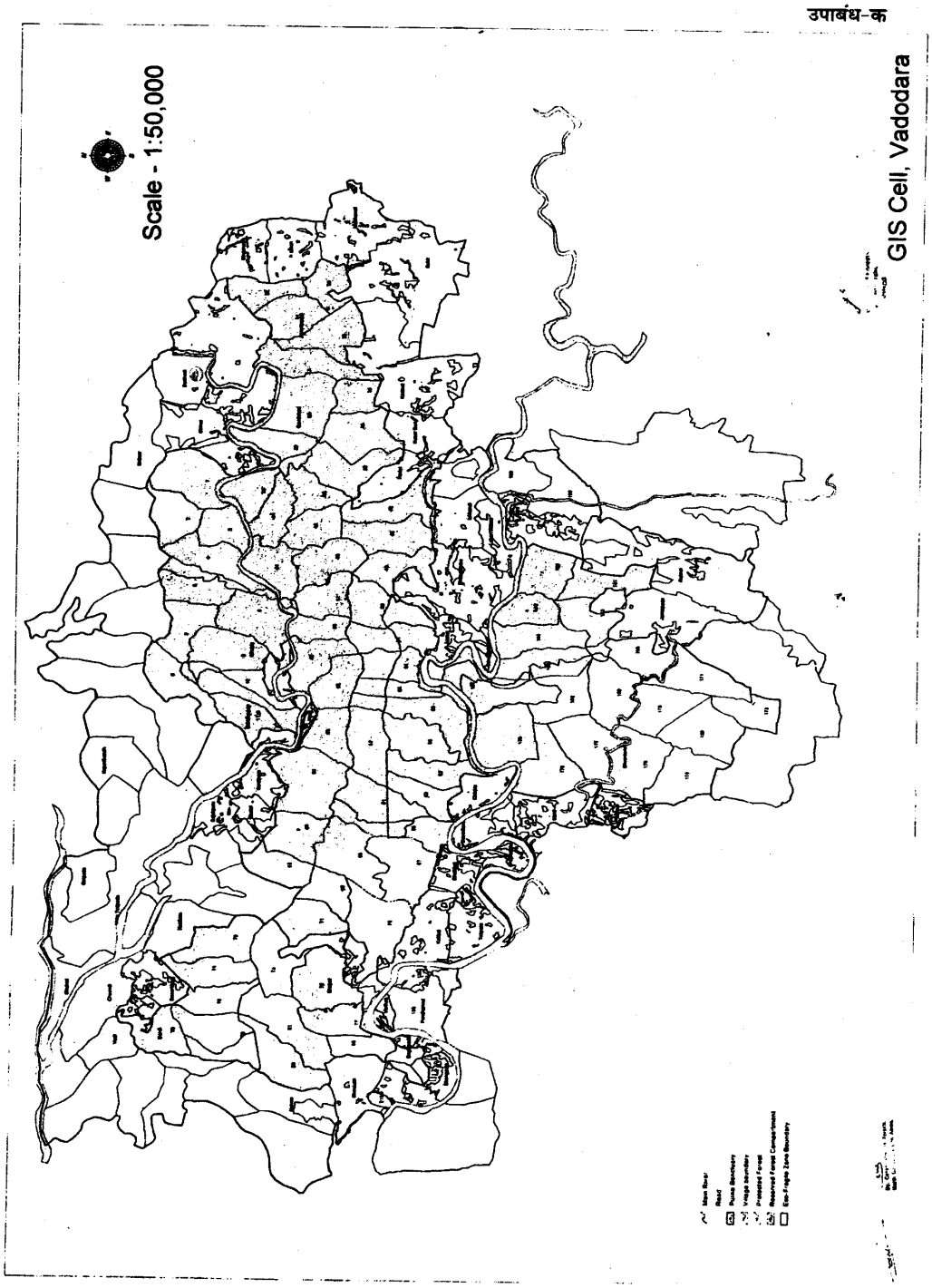
Eco-Fragile Zone of Purna Wildlife Sanctuary
Dangs (North) Forest Division
Scale - 1:50,000
GIS Cell, Vadodara

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2011

S.O. 1266(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Purna Wildlife Sanctuary is one of the richest and compact bio-diversity patches covered on all sides by very good quality teak forests along with bamboo patches dotted in between and it maintains very rich bio-diversity comprising of 61 tree species, 31 species of herbs and shrubs and 18 species of climbers, 24 mammal species which include some rare species, 18 species of reptiles, more than 3000 species of insects and more than 142 species of birds;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Purna Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of Purna Wildlife Sanctuary, reintroduction and rehabilitation of local species through breeding programmes, promote environmental education and ecological research;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area within the Purna Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Purna Eco-sensitive Zone) the boundary described below:-

Boundaries of Purna Eco-sensitive Zone.–

(1) (i) Purna Wildlife Sanctuary is situated between latitude 20° 51' 15" N and 21° 31' 22" N and between 73° 32' 20" E and 73° 48' 30" E longitude;

(ii) the total area covered is 160.8451 square kilometer. Entire sanctuary comes in Dangs district with the headquarters at Ahwa.
(iii) Mahal is central place of sanctuary;
(iv) the area of north is a continuous ridge with steep slope, which is boundary of Vyara division (Surat district);
(v) other side of the sanctuary falls in Dangs district. Forests of the surrounding areas are also used by the Wild animals of Sanctuary.
(vi) the map of the Eco-sensitive Zone is appended with this notification as **Annexure A** and the list of the villages falling within Purna Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure B**.

(2) All activities in the Purna Wildlife Sanctuary shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980).

2. Zonal Master Plan for the Purna Eco-sensitive Zone.–

(1) A Zonal Master Plan for the Purna Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and approved by the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Gujarat State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(5) No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(7) All the human habitation areas with populations of 5000 and above shall have Area Development Plan and be prepared under the guidance of local self Government.

(8) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinised and approved by the Monitoring Committee as referred in paragraph 4.

(9) There shall be no consequential reduction in Forest area, Green area and Agricultural area and the unused or unproductive agricultural areas may be converted into forest areas.

(10) The State Government shall specify additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone.-

(1) Industrial Units: On or after the publication of this notification, no polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone and the non-polluting industries in the region may be considered with the provision of minimum of 50 meter wide green belt.

(2) Quarrying and Mining: (i) No mining shall be allowed within the Eco-sensitive Zone: provided that the quarrying of sand for local use in river beds in Tapi and Ahwa-Dangs Districts may be permitted at selected sites in consultation with Forest Department with due safe guards;

(ii) no fresh mining lease shall be granted in eco-sensitive zone and the existing mining leases, if any, shall be phased out with the term of current lease and no extension of those mining lease shall be allowed:

Provided that the permission to collect sand and stone from river bed for local use at locations may be permitted at sites approved vide no. 8-104, 89-FC, dated 26/07/1990 under FCA-1980 by the Ministry of Environment and Forests.

(3) Trees: Felling of trees on forest should be as per the Working Plan or Management Plan approved by the Competent Authority and the felling of trees on private or revenue lands may be allowed in accordance with the State regulations.

(4) Tourism: Tourism activities shall be as per as Tourism Master Plan which shall emphasize on ecotourism, eco-education and eco-development and be prepared by the Department of Environment and Forest in collaboration with Department of Tourism which shall be a component of the Zonal Master Plan.

(5) Ground Water: Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot and no extraction of ground water for commercial and industrial complexes shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board and all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(6) Use of Plastics: No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive zone area and the disposal of plastic articles shall be strictly regulated.

(7) Noise pollution: The Environment Department or the State Forest Department, Gujarat shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(8) Discharge of effluents: No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(9) Solid Wastes: (a) The solid waste disposal shall be carried out in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000, as amended from time to time.

(b) (i) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(ii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone; and

(iv) no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Natural Springs: The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

4. Monitoring Committee. –

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Purna Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1), shall consist of not more than ten members who shall represent the following, namely:-

(a) Collector, Dangs – Chairman;

(b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;

(c) one representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of India – Member;

(d) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Dangs – Member;

(e) Senior Town Planner of the area – Member;

(f) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Dangs – Member Secretary

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such matters shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority, which shall be the Competent Authority for grant of the clearances in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. – 1533, dated the 14th September 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or the Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. Gujarat/1/2009-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE-A

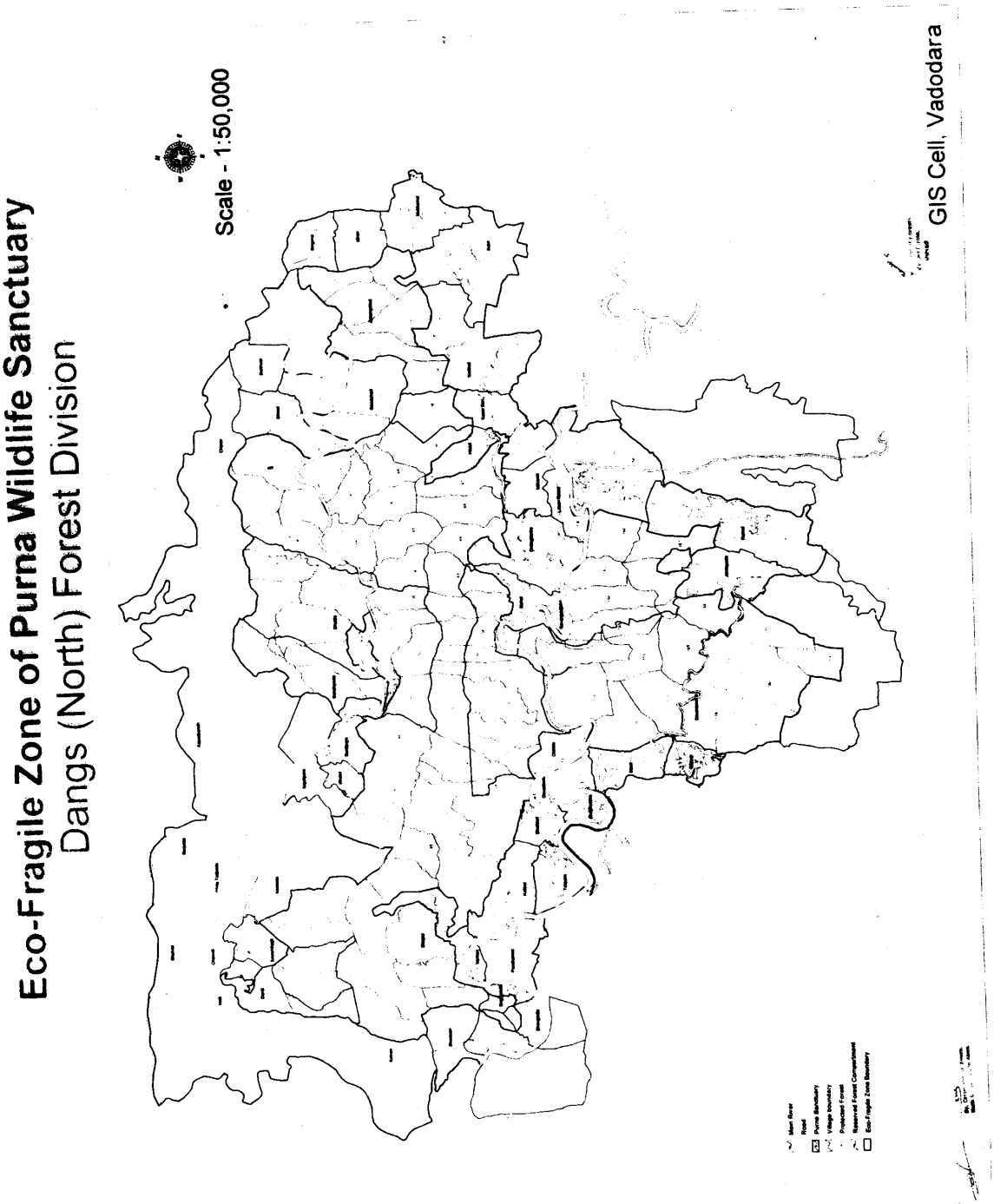
Eco-Fragile Zone of Purna Wildlife Sanctuary
Dangs (North) Forest Division
Scale - 1:50,000
GIS Cell, Vadodara

ANNEXURE - B
[See paragraph 1 (1) (iv)]

List of Villages

A. Taluka Ahwa

Hadol, Kalibel, Bhalkhet, Chikhala, Bardipada, Dhulda, Girmal, Savarkhadi, Dardi, Bhujad, Bandhpada, Sawardakasad, Divantemrun, Gaodahad, Jamanyamal, Kasadbari, Sajupada, Iskhandi, Bheskatri, Mahal, Dhongiamba, Kadmal, Zaran, Shingana, Kosimada, Khokhari, Burthadi, Machhali, Subir, Mokhamal, Divdyavan, Motikasad, Enginpada Gadhavi (Ruimal), Pandharmal, Bhongdia, Jamlapada, Vankan.

B. Songadh

Borpada, Gutvel, Wadi(Rupghadh), Kapadbhand, Mota, Tadpada, Chimer, Kelvan, Chevdi.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1267(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं साठ दिन के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे व्यक्ति जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध हैं, वे ऐसा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी,जी,ओ, काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या इलेक्ट्रानिकली ई-मेल पता- envisect@nic.in. पर भेज सकेंगे ।

प्रारूप अधिसूचना

वनसडा राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ वन भू-भाग है जिसमें अच्छी जैव विविधता है और इसके पूर्व की ओर डांगस वन है, वलसाड जिले के वन भी दक्षिणी सीमा पर है और व्यारा खंड की युनाई पर्वतमाला का वन क्षेत्र है, उद्यान का अधिकांश भाग अम्बिका जलग्रहण क्षेत्र के एक भाग से बना है ;

और विगत में इस क्षेत्र में बाघ रहते थे और इस क्षेत्र में चित्तीदार चीतल, गंध मार्जार, छोटे भारतीय मार्जार, मुजंक, चौसिंग हिरण, बनैला सुअर, सूरजभगत, चित्तीदार बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली जैसे जीवजन्तु और कृन्तक, सरीसृप और उभयचर की कई प्रजातियां हैं और इस परिक्षेत्र की आर्द्र प्रकृति के कारण यहां अत्यधिक औषधीय महत्व की कई झाड़ियां और जड़ा - बूटियों की प्राप्ति सुकर है तथा यहां पर कई प्रकार की फलवाटिका, पत्थर के फूल और पर्णांग अस्तित्वशील है जिसकी वजह से इस वन के पेड़ पौधे अद्वितीय हैं ;